पेपर - 1, खंड – II (विषयः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ)

विशेष आलेखः बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028

(लेखनः संतोष कश्यप, निदेशक- बिहार नमन ग्रुप)

परिचय

बिहार कृषि संसाधनों से एक परिपूर्ण राज्य है। **21 दिसंबर 2023** को **"14 वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023"** (जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था) में बिहार को फसल उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर **सर्वश्रेष्ठ राज्य** का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार बिहार में वर्ष 2008 से लागु कृषि रोड मैप के सफल संचालन के परिणाम स्वरुप हुए प्रति हेक्टर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य में **कृषि तथा सहवर्ती कार्य** पारंपरिक रूप से जनसमुदाय की आजीविका का प्रमुख स्रोत रहा है। यह न केवल जीवन यापन के लिए आवश्यक है बल्कि अधि कतर ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत भी है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। राज्य का समस्त भौगोलिक क्षेत्र **93.60** लाख हेक्टेयर है जिसमें **50.45** लाख हेक्टेयर **शुद्ध फसल क्षेत्र** तथा **72.48** लाख हेक्टेयर **सकल फसल क्षेत्र** है। समृद्धि व विकास की अपार संभावनाएं यहां विद्यमान है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि यहां की **91.21%** सीमांत कृषक है जिनके जोत का आकार **एक हेक्टेयर से भी कम** है। राज्य की कृषि जलवायु परिस्थितियां भी विशिष्ट हैं। टाल, दियारा एवं चौर क्षेत्र साल के 8 से 9 महीना पानी से डूबा रहता है। राज्य की **विशिष्ट कृषि जलवायु** परिस्थितियां एवं नैसर्गिक रूप से उपलब्ध उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर भूमिगत जल एवं राज्य के किसानों का कृषि कौशल बिहार में कृषि विकास की असीम संभावनाओं का द्वार खोलता है। कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से ही बिहार में वर्ष **2008 से कृषि रोड मैप का सूत्रण एवं क्रियान्वयन** किया जा रहा है।

2008 से 2012 तक बिहार सरकार द्वारा राज्य के लिए पहला कृषि रोड मैप बनाकर **कृषि विकास कार्यक्रम** चलाए गए थे। पहले कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से प्रभावित होकर वर्ष 2012 से 2017 तक दूसरे कृषि रोड में तथा वर्ष 2017 से 2022 तक तीसरे कृषि रोड मैप के तहत कार्यक्रम चलाए गए जिसे मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया था। इन तीनों कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन से फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। साथ ही मछली का उत्पादन ढाई गुना से अधिक हो गया है जिससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया। इन तीनों कृषि रोड मैप का ही प्रतिफल है कि बिहार को केंद्र सरकार से **पांच कृषि कर्मण पुरस्कार** प्राप्त हो चुका है। साथ ही कृषि विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं जैसे- बिजली, ग्रामीण पथ, खाद्य प्रसंस्करण की नई इकाइयों में भी वृद्धि हुई है। इन सब के बावजूद हाल के समय में बिहार सरकार द्वारा कृषि के विकास एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई आवश्यकताओं एवं चुनौतियां का विश्लेषण किया गया जिससे पता चला है कि बिहार में वर्ष 2008 से 2022 तक दलहन एवं तिलहन का उत्पादन स्थिर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में बाढ़ एवं सुखार जैसी समस्याओं की तीव्रता बढ़ी है तथा जैविक उत्पादों का उचित दाम नहीं मिलने से किसान हतोत्साहित हुए हैं। इन्हीं आवश्यकता और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को केंद्र में रखकर बिहार सरकार द्वारा **चौथ कृषि रोड मैप 2023 से 2028** कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

चौथें कृषि रोड मैप (2023 से 2028) का उद्देश्य / महत्त्व / विशेषता

1. बिहार में उत्पादित होने वाले सभी प्रकार के खाद्यान्न फसलों व मोटे अनाजों को पोषक खाद्य पदार्थ के रूप में स्थापित करना।

2. कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना है जिससे कृषि उपज तो बढ़ें ही साथ ही किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो।

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

3. किसानों को जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे स्थिति के लिए तैयार करना तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना।

4. सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना।

5. किसानों तथा खेती से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने हेतु बिहार के सभी आवश्यक सरकारी विभागों के मध्य उचित तालमेल बैठाना।

6. बिहार में विशेषीकृत खेती के लिए विशेष योजना का निर्माण करना। जैसे- टाल, दियारा और चौर क्षेत्र विकास योजना आदि।

7. वे सभी उपाय करना जो कृषि उत्पादन से पहले और कृषि उत्पादन के बाद किसानों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आवश्यक हो।

8. **सहवर्ती कृषि उपागम** का विकास करना जिसमें पशुपालन, मत्स्यकी तथा बागवानी शामिल है।

9. महिला तथा गैर रैयत किसानों को प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए विशेष नीति का निर्माण करना।

10. खाद्य और पोषण सुरक्षा स्थापित करना।

11. **''फसल विविधिकरण''** को बढ़ावा देना तथा **"प्रत्येक भारतवासी के थाल में बिहार का एक व्यंजन"** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना।

12. टिकाऊ तथा लाभकारी खेती का विकास करना तथा कृषि में वाणिज्य का समावेश करना।

13. **समेकित - समग्र**, **उत्पादक - उपयोग** की एकीकृत प्रणाली विकसित करना।

14. जीन-संपादन कर आवश्यकता अनुसार गुणवत्तापूर्ण फसल बीजों व उन्नतशील प्रजातियों का विकास करना।

15. बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए प्रत्येक वर्ष ***फ्लेक्सी फंड*** के माध्यम से प्रोत्साहन आधारित प्रस्तावित अभिनव प्रयोग व अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को निरंतर प्रदान करना।

16. बिहार में सस्ती सतत ऊर्जा की अबाध उपलब्धता सुनिश्चित करना।

17. **"बचाओ और विकास करो"** सिद्धांत पर काम करते हुए प्राथमिक तथा द्वितीय कृषि को एकीकृत करना जिससे वास्तविक कृषि का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

18. **"ज्ञान वाहन विकास वाहन"** की मदद से गांव-गांव में विज्ञान का प्रसार करना।

चौथे कृषि रोड मैप (2023 से 2028) के घटक

चौथे कृषि रोड मैप का सूत्रण लगभग **5000 किसान बंधुओं** की सहमति और उनके बहुमूल्य सुझावों पर व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत (इसके लिए **डॉक्टर मंगला राय** की अध्यक्षता में एक **विशेष समिति** का गठन किया गया था) किया गया जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल किए गए हैं-

1. कृषि एवं बागवानी	**2. पशुपालन एवं मत्स्यकी**	**3. ग्रामीण कार्य**
4. जल प्रबंधन	**5. सहकारिता**	**6. गन्ना प्रक्षेत्र**

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

7. राजस्व एवं भूमि सुधार 8. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 9. ऊर्जा

10. संधारणीय पर्यावरण

बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028

इसके आवश्यक घटक

1. कृषि एवं बागवानी

2. पशुपालन एवं मत्स्यकी

3. ग्रामीण कार्य

4. जल प्रबंधन

5. सहकारिता

6. गन्ना प्रक्षेत्र

7. राजस्व एवं भूमि सुधार

8. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

9. ऊर्जा

10. संधारणीय पर्यावरण

हमारा बिहार, बदलता बिहार

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

1. कृषि एवं बागवानी: चौथे कृषि रोड मैप का सबसे अहम घटक है- *'कृषि एवं बागवानी का विकास करके बिहार में प्रति हेक्टर अनाज उत्पादन को बढ़ाना।'* इसके लिए कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग, विशेषाकृत कृषि नीतियों का निर्माण तथा व्यर्थ पड़े कृषि भूमि का विकास किया जाएगा। पुन: इससे सम्बंधित अन्य **सह-घटक** की भी पहचान की गई है जो कृषि और एवं बागवानी के विकास के लिए घोषित लक्ष्य में शामिल है। इनमें प्रमुख सह-घटक इस प्रकार हैं-

• बीज विकास के माध्यम से वर्ष 2028 तक बिहार को उन्नत व टिकाऊ बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए राज्य भर में तीन विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (i) मुख्यमंत्री क्रैश बीज योजना (ii) बीज वितरण योजना (iii) प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम।

• फसल विविधीकरण एवं सघनीकरण के माध्यम से राज्य में गेहूं व धान के उत्पादन को बढ़ाना। इसके अलावा तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों का भी गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए **गया** में **सेंटर आफ एक्सीलेंस** स्थापित किया गया है। बिहार के दियारा, बूढी गंडक और कोसी नदी के किनारे **कुश** (एक प्रकार का घास) की खेती की जाएगी।

• बिहार में पौध संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर 338 पौध संरक्षण केंद्र खोला जाएगा।

• बिहार जैविक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य में जैविक व पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को बायोगैस संयंत्र लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर की गई है।

• बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने और खेतों से बाजारों तक खाद्यान्न पहुंच की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। **इस हेतु बिहान ऐप को एकमार्गनेट पोर्टल से जोड़ा गया है**। लगभग 2000 से अधिक **ग्रामीण हाटो** का विकास किया गया है तथा बिहार से फूलों, सब्जियों तथा फलों के निर्यात के लिए **डिजिटल सर्विसेज** की व्यवस्था की गई है।

• कृषि एवं बागवानी से संबंधित अन्य सह घटकों में शामिल है- वैज्ञानिक विधि से बिहार में मृदा एवं जल संरक्षण करना, बागवानी विकास करना, कृषि में नई तकनीक का समावेश करना (जैसे- डिजिटल किसान सेवा, ई-मचान, बिहार किसान उत्थान समिति, कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, स्मार्ट डेयरी और समुनित मत्स्य पालन केंद्र का विकास आदि), राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना, **SWASTH (Single Window Agricultural Service Terminals and Hubs)** और ज्ञान वाहन की मदद से कृषि अनुसंधान को बढ़ाना (इसके लिए **मुजफ्फरपुर** जिला के मुसहरी प्रखंड में **Strengthening of Extension Training Centre** खोला गया है)।

2. पशुपालन एवं मत्स्यकी: पशुपालन और मत्स्यकी बिहार के **88.01** प्रतिशत जनसंख्या के लिए जीवन आधार है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसके विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

• बिहार में **गोजातिय नस्ल विनियामक अधिनियम** लागू है जिसकी मदद से राज्य के स्थानीय नस्ल के गोवंश में दूध तथा मांस की मात्रा अधिक प्राप्त करने हेतु समुन्नत **वीर्य** (बछौर, लाल पूर्णिया, साहीवाल, गिर तथा लाल सिंधी गोवंश का) का समावेश करके अच्छी नस्ल के गोवंश प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

• बि - सहमत (B-SAHMAT: Bihar Society for Animal Health Management and Training) की सहायता से बिहार के भैंस, गाय, सूअर, बकरी, सांड, भेड़, मछली, मुर्गा आदि का स्वास्थ्य सुधार किया जा रहा है।

• राज्य भर में 1137 वेटरनरी अस्पताल तथा मोबाइल वेटरनरी अस्पताल क्रियाशील है जो किसानों के घर तक पशु स्वास्थ्य तथा जांच सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यह सुविधा **24x7** उपलब्ध है। प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर नए पशु अस्पताल खोले जाएँगे।

• दूध उत्पादन को बढ़ाने तथा उसे बाजार तक सुरक्षित पहुंचाने हेतु 28500 कोल्ड चैन का निर्माण किया जा रहा है जिनमें कुछ पुराने कोल्ड चैन का पुनरुद्धार भी शामिल है।

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

• सभी छोटे-बड़े पशुओं को **82.8% हरा चारा** उपलब्ध हो इसके लिए राज्य भर में 40560 मिलियन टन के प्रति वर्ष हरा चारा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉक स्तर पर इस हरे चारे का भंडारण एवं संग्रहण की व्यवस्था की गई है।

• राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए 25000 हेक्टेयर चौर क्षेत्र का विकास किया जाएगा जिससे मछली आधिक्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

• मछली वेस्ट पदार्थ (जैसे मछली का चोइटा और तेल) से बिहार में ही सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• पंचायत और प्रखंड स्तर पर **मछली बाजार** तथा **रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक फिश** यूनिट का विकास किया जाएगा।

• वर्ष 2028 तक 900 हेक्टेयर में नए तालाब तथा 100 हेक्टेयर जलक्षेत्र में नर्सरी तालाब का निर्माण किया जाएगा।

• **मत्स्य कॉलेज (डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा)** में **जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला** की दो इकाई की स्थापना की जाएगी जहां मत्स्य स्वास्थ्य अनुसंधान कार्य किया जाएगा।

• **मुजफ्फरपुर** में **आद्रभूमि मत्स्य पालन विकास प्रभाग** तथा **मुंगेर** में **जलाशय मत्स्य विकास प्रभाग** की स्थापना की जाएगी।

3. ग्रामीण कार्य: कृषि उत्पादों को तीव्र गति से बाजार तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में बारहमासी सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क को **जिला सड़क - राज्य सड़क - राष्ट्रीय सड़क** से जोड़ा जाएगा। इसके अन्य मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं -

• **नाबार्ड** की सहायता से सड़क के किनारे जल जमाव को प्रबंधित करके जल का जल संचय तथा सिंचाई कार्य में उपयोग किया जाएगा।

• पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर में ग्रामीण कार्य तेजी से किया जा रहा हैं क्योंकि यह जिले ज्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं।

4. जल प्रबंधन: कृषि रोड मैप 4 का सफल क्रियान्वयन सुरक्षित जल संचय व इसके विवेकपूर्ण प्रबंधन के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए बिहार सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निम्नलिखित काम किए जा रहें हैं / जाएंगे-

• **कोसी, सोन और गंडक नहर प्रणाली** का पुनरुद्धार किया जाएगा। हर खेत में सिंचाई का पानी सुनिश्चित करने के लिए **1. 5** लाख हैक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। पुराने तटबंधों की मरम्मत तथा बड़ी नदियों से संबंधित छोटी नदियों में बारहमासी निरंतर जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।

• **नदी जोड़ो योजना** (**कोसी-मेंची लिंक, बागमती-बूढी गंडक लिंक, गंडक-छोटी गंगा लिंक तथा गंडक-दहा-घाघरा लिंक**) का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा जिससे राज्य में बाढ़ का भी नियंत्रण हो और सिंचाई हेतु जल उपलब्धता भी संभव हो सके।

• भूमिगत जल की मात्रा का पता लगाने तथा इसका प्रभावी उपयोग करने हेतु प्रखंड तथा जिला स्तर पर **डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर** स्थापित किया जाएगा।

5. सहकारिता: बिहार में फसल चक्र के माध्यम से किसानों को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए सहकारिता की संकल्पना पर विशेष बल चौथे कृषि रोड मैप में दिया जा रहा है। इसके लिए निम्न पहल किए जाएंगे-

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

• **पैक्स** और **व्यापार मंडल** के सौजन्य से प्रखंड स्तर पर अनाज गोदाम सह कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इस कार्यालय से खाद्य वितरण, जन वितरण तथा अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी।

• मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत छोटे तथा सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीक का समावेश करना है।

• राज्य में सब्जी उत्पादक तथा मधु उत्पादक समूह के किसानों की स्थिति सुदृढ़ की जाएगी।

• राज्य भर में कृषि से जुड़े सभी संस्थाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल किया जाएगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे किसानों को सभी प्रकार की सुविधा एकल खिड़की के माध्यम से तीव्र गति से प्राप्त हो सके।

6. गन्ना प्रक्षेत्र: गन्ना बिहार का एक प्रमुख नगदी व व्यावसायिक फसल है जो बिहार के लगभग **3** लाख हैक्टेयर भूमि पर पैदा किया जाता है। यह राज्य में कृषि अस्तित्व के साथ-साथ रोजगार कृषि क्षेत्र भी है। इसलिए चौथे कृषि रोड मैप में इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निम्न प्रयास किए जाएंगे-

• बिहार में **गुड़ उद्योग** तथा इससे बने खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

• वर्ष 2028 तक 90 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। खाद के रूप में जैविक व प्राकृतिक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा।

• राज्य के सभी 9 गन्ना फैक्ट्री में वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा तथा इसे उच्च क्षमता वाले मशीनों से लैस किया जाएगा।

7. राजस्व एवं भूमि सुधार: इस कृषि रोड मैप में भूमि को एक आवश्यक घटक के रूप में चिन्हित किया गया है। चाहे खेती करना हो, गोदाम निर्माण करना हो या किसानों को अपना घर बनाना हो; इन सभी के लिए प्राथमिक अवयव के रूप में भूमि की आवश्यकता होती है। अत: इस घटक में निम्न प्रयास किए जाएंगे-

• बिहार के 20 जिलों में जमीन के रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2028 तक सभी 38 जिलों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा।

• बिहार में 868 राजस्व गांव का विकास किया जाएगा तथा इसे **मॉडल गाँव** के रूप में विकसित किया जाएगा।

• बिहार के सभी जमीन मालिकों को जमीन के मालिकाना हक के रूप में **ई-पासबुक** दिया जाएगा जिससे राज्य में जमीन की सही तरीके से बंदोबस्ती सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सभी जमीन मालिकों को जमीन का विशेष **ULPIN** (**Unique Land Parcel Identification Number**) नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

8. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण: विगत कुछ वर्षों में बिहार में सभी प्रकार के अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है; विशेष रूप से धान और गेहूं के उत्पादन में। इस चौथे कृषि रोड मैप में अनाजों के उत्पादन को सतत बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है जिससे कि भविष्य में खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके लिए इस कार्यक्रम में निम्नलिखित व्यवस्था किया गया है-

• खेती में उन्नत तिलहन बीजों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया जा चुका है।

• खाद्यान्न संरक्षित करने हेतु प्रत्येक **प्रखंड** में **समुन्नत भंडारगृह** तथा **शीत भंडारगृह** का निर्माण किया जाएगा।

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

• जीपीआरएस लगे ट्रकों को खाद्यान्न ढूलाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। भंडारगृह निर्माण में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. ऊर्जा: किसी भी व्यवस्था को गति देने के लिए ऊर्जा एक आवश्यक घटक होता है क्योंकि ऊर्जा हमारी बुनियादी जरूरत की पूर्ति करने से लेकर बड़े-बड़े मशीनों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह किसी भी काम को तेजी से करने के लिए भी जिम्मेदार है। बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप से ही ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर बल दिया जाना शुरू हुआ था ताकि खेतों में इसकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इस चौथे कृषि रोड मैप में **4 लाख 80 हजार** पंप सेट्स को सरकार द्वारा नि:शुल्क बिजली (ऊर्जा) देकर कृषि में सिंचाई के लिए अबाध जल की उपलब्धता तय की गई है। साथ ही इसके अन्य प्रमुख व्यवस्था इस प्रकार हैं-

• **ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट** के माध्यम से खेतों में छिड़काव सिंचाई करने हेतु 1354 बड़े-बड़े सोलर इकाई लगाए जाएंगे।

• **मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बद्ध योजना** के माध्यम से 291 नए पावर सब स्टेशन, 93420 नए ट्रांसफार्मर, 1354 नए डेडीकेटेड एग्रीकल्चर फीडर स्थापित किए गए हैं जिनकी संख्या को वर्ष 2028 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

10. संधारणीय पर्यावरण: बिहार सरकार संधारणीय पर्यावरण हेतु कृतसंकल्पित है। चौथे कृषि रोड मैप में सभी घटकों के सफल क्रियान्वयन को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ जोड़ा गया है। अर्थात काम चाहे जो भी हो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किया जा रहे हैं / जाएँगे -

• बिहार के सकल हरित आवरण को **17%** तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ पेड़/ विशेषकर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे, जंगल में उपस्थित जल स्रोतों व तालाबों का संरक्षण किया जाएगा एवं उसका पुनरुद्धार भी किया जाएगा और उसके जल को जंगली जीव व स्थानीय ग्रामीणों के लिए उपयोग योग्य बनाया जाएगा।

• बिहार के सभी नदियों, सड़कों व नहर के किनारे बांस (बांस का बहुउद्देशीय उपयोग होता है इसलिए इसका चयन किया गया है) के पेड़ लगाए जाएंगे जिसका सामुदायिक उपयोग किया जा सकेगा।

• पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता स्थानीय स्तर पर फैले इसके लिए जीविका दीदी को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह ग्रामीणों को इसके विषय में वैज्ञानिक जानकारी दे सके।

• बिहार में **वन आधारित उद्योगों** को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे जुड़े उद्योग हैं- सरस उत्पादन, दिया-सलाई उद्योग, बीड़ी निर्माण, चटाई निर्माण, डलिया निर्माण इत्यादि।

आलोचना

यद्यपि चौथा कृषि रोड मैप (2023 से 28) अपने आप में संपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बिहार सरकार ने हर क्षेत्र को लक्षित किया है। किंतु कुछ बिंदुओं पर इसकी आलोचनात्मक पक्ष इस प्रकार हैं-

• सरकार द्वारा चौथे कृषि रोड मैप का दस्तावेज जारी करके इसका क्रियान्वयन किया जा चुका है। लेकिन अभी तक इसकी जानकारी कुछ पढ़े-लिखे व्यक्तियों तक ही सीमित हैं जबकि सरकार को इसका गहन प्रचार करना चाहिए ताकि बिहार के आम जनों तथा किसानों तक इसके शत -प्रतिशत लक्ष्य या उद्देश्यों को पहुंचाया जा सके तथा इसका क्रियान्वयन क्यों किया गया है, इसकी भी जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए।

• इसमें महिला किसानों को केंद्र में रखकर कोई विशेष स्वरुप नहीं दिया गया है जबकि यह आवश्यक है।

Copyright@ Bihar Naman Publishing House

• बिहार में अभी भी **शीत वाहनों** की कमी है। विशेष कर राज्य सरकार के पास तो इसका अभाव ही है। इस कारण से कृषि उत्पादों (जो जल्दी खराब होने वाले हैं) का तीव्र गति परिवहन संभव नहीं हो सकेगा और किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य पूरा करने में कठिनाई होगी।

• इसमें धान, गेहूं, तिलहन और दलहन फसलों को ही प्राथमिकता दिया गया है जबकि बिहार में मखाना, अमरुद, लीची का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। इसे बढ़ावा देने के लिए यह कृषि रोड में मौन है।

• बिहार मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। इसका निर्यात भी किया जाता है। लेकिन सरकार ने मछलियों के भंडारण हेतु कोई भी **शीत मछली भंडारगृह** का निर्माण नहीं किया है। इससे मछली व्यवसायी युवा किसानों को आर्थिक हानि होने की संभावना है।

• सीमांत जोत सकल कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। सरकार द्वारा अभी तक भूमि सुधार कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सका है जिसके कारण चौथे कृषि रोड मैप के उद्देश्य को शत प्रतिशत प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

• बिहार के सरकारी विभागों के बीच कम तालमेल का होना भी इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में संकट पैदा कर सकता है।

निष्कर्ष

चौथे कृषि रोड मैप को बिहार के बहुआयामी विकास के लिए तैयार किया गया है और इसके उद्देश्य भी बहुत व्यापक है। इसके समक्ष खड़ी समस्याओं को यदि समय रहते और विवेकपूर्ण तरीके से दूर किया जा सका और प्राथमिकता के स्तर पर इसे बढ़ावा दिया जाए, किसानों की सकल भागीदारी सुनिश्चित हो सके, व्यवस्थित बाजार प्रणाली को स्थापित किया जाए, कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलायी जाए तो निश्चित ही यह चौथा कृषि रोड मैप बिहार के कृषि क्षेत्र में और बिहार विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

☆☆☆

अभ्यास प्रश्न

1. आने वाले समय में बिहार एक प्रमुख कृषि उत्पादक और कृषि उत्पाद निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप (2023-28) की महत्ता का परीक्षण कीजिए।

(अंक: 38, शब्द सीमा: 400 से 500)

2. बिहार के चौथे कृषि रोड मैप (2023-28) की महत्ता का विश्लेषण कीजिए।

(अंक: 38, शब्द सीमा: 400 से 500)

Copyright@ Bihar Naman Publishing House